

—: आदेश :-

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली के खाता संख्या 287 में वादी गणेशराम व प्रतिवादी संख्या 2 चम्पालाल व प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमराम के हक बंट मे मौजा सोनेली के खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 5.4309 हैक्टेयर सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम व प्रतिवादी संख्या 4 राजूड़ी के हक बंट मे मौजा सोनेली के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 2.7923 हैक्टेयर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



07/01/2022  
(स्वीन्द्र कुमार) कलक्टर  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, जायल